



भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो,  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

उल्लंघन पत्र  
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०- छ०ग०/राजनांदगाँव/लौ०अ०-1/रायपुर

30 छ०ग० 15001

दिनांक :- 21/06/2019

प्रति,

श्री पी० के० जैन,  
होल टाईम निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर  
सर्वश्री सारदा एनर्जी एवं मिनरल्स लिमिटेड,  
ईन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेस-1, सिलतरा,  
रायपुर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़- 493 111

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगाँव जिले में स्थित आपकी डोंगरबोर लौह अयस्क खदान क्षेत्रफल 80.71 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 12/06/2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री नीरज ठाकुर खान ऐजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
<b>Rule 11(1)</b>	(i) The following deviations have been found in the mine from the approved Review of Mining Plan vide RNG/FE/MPLN-1126/2017 Raipur dated 14/12/2017 for the period of 2018-19 to 2022-23: <b>Stacking of Mineral, and Waste:</b> In the approved Review of Mining Plan, there was a proposal given for stacking/dumping of <b>Waste/OB/IB</b> in between Local co-ordinates N2510 to N2760 and E1520 to E1770 and <b>Mineral/Ore Fines</b> in between Local co-ordinates N2480 to N2520 and E1380 to E1440 and N1804 to N1870 and E920 to E1030. Whereas, stacking/dumping of <b>Waste/OB/IB</b> has been done in between Local co-ordinates N1070 to N2760 and E1520 to E1830 and <b>Mineral/Ore Fines</b> in between Local co-ordinates N2480 to N2520 and E1380 to E1440, N1804 to N1850 and E910 to E1030 and N1900 to N2000 and E920 to E1060, without any proposal. <b>Compliance of Environmental monitoring (core zone &amp; buffer zone):</b> There was a proposal given for quarterly monitoring of Ambient Air, Water Quality and Noise Vibration. Whereas, monitoring has not been done.
<b>Rule 26 (2)</b>	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2017-18.
<b>Rule 45(7)</b>	Annual Return for the Financial Year 2017-18 has been scrutinized; it has been found that as per approved Review of Mining Plan, 35.25 Ha lease area has been considered for calculation of Financial Assurance up to the end of the Plan Period whereas, 36.112 Ha area has been utilized till the end of F.Y. 2017-18. Financial Assurance in the form of Bank Guarantee for the excess used 0.862 Ha lease area has to be submitted under rule 27(1) of MCDR, 2017 to the authorized officer. <b>Annual return for F.Y. 2017-18:</b> Part VI; Ex-mine price for the different size and grades of iron ore should be similar to the cost of production as computed in Part VII. (For Captive Use) <b>Monthly Returns for April 2019 to May 2019:</b> Part II; Ex-mine price for the different size and grades of iron ore should be similar to the cost of production as computed for the respective month. (For Captive Use)

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

कृ०पृ००२.

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर